उच्च प्राथमिक स्तर
पर
सीखने के प्रतिफल

(कक्षा 6 से 8 तक)

संरक्षक

कैप्टन आलोक शेखर तिवारी (आई.ए.एस.)
अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड
राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड

परामर्श

राकेश कुमार कुंवर
निदेशक
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

सीमा जौनसारी
निदेशक
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड

निर्देशन

अजय नौडियाल
अपर निदेशक
एस.सी.ई.आर.टी., उत्तराखण्ड

डॉ. मुकुल कुमार सती
अपर राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड

समन्वयन

मदन मोहन जोशी
राज्य समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड

प्रदीप बहुगुणा
राज्य समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड

अत्रेश सयाना
विशेषज्ञ
सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड

अरविन्द पाण्डेय
मंत्री
विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा
संस्कृत शिक्षा, खेल, युवा
कल्याण

उत्तराखण्ड शासन

विधान भवन
देहरादून -248001
दूरभाष : 0135-2665080 (का.)
फैक्स : 0135-2665121

संदेश

शिक्षा समाज की आधारशिला है। आज के विद्यार्थी ही कल के नागरिक हैं। शिक्षा के महत्व के दृष्टिगत ही नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के द्वारा 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है।

उत्तराखण्ड में शिक्षा सदैव प्राथमिकता का विषय रहा है। राज्य में मानकानुसार प्रत्येक बच्चे हेतु विद्यालयी शिक्षा सर्व सुलभ है। विद्यालयों की सर्वसुलभता एवं सार्वभौमिकता के साथ-साथ शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा प्रारंभिक स्तर के लिए तैयार किये गये 'सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) को शिक्षा का अधिकार नियमावली में सम्मिलित किया गया है। शिक्षा के सभी हितधारकों के सामूहिक चिंतन की उपज 'सीखने के प्रतिफल' अभिलेख का मुख्य उद्देश्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में अधिगम सम्प्राप्ति को सुनिश्चित करना है।

यह अभिलेख दो प्रारूपों में तैयार किया गया है। प्रथम प्रारूप में शिक्षकों हेतु एक समग्र दस्तावेज है, जिसमें पाठ्यक्रम सम्बन्धी अपेक्षाओं व सीखने के प्रतिफलों के साथ-साथ शिक्षण प्रक्रिया को भी सम्मिलित किया गया है। जबकि दूसरा संक्षिप्त प्रारूप है, जिसमें कक्षावार तथा विषयवार सीखने के प्रतिफल अभिभावकों एवं जनमानस की जानकारी हेतु रखे गये हैं। संक्षिप्त प्रारूप पर आधारित सीखने के प्रतिफलों के पोस्टर भी विद्यालयों में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु दिये जा रहे हैं।

मेरा विश्वास है कि इस पुस्तिका के माध्यम से उपलब्ध कराये जा रहे 'सीखने के प्रतिफल' शिक्षकों हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को छात्र केन्द्रित बनाने एवं विद्यालयों में अधिगम सम्प्राप्ति को सुनिश्चित करने में उपयोगी होंगे।

(अरविन्द पाण्डेय)
शिक्षा मंत्री, विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड

चन्द्रशेखर भट्ट
Chandrashekhar Bhatt
(IAS)

सचिव (प्र.) विद्यालयी शिक्षा,
Secretary (Inc.) School Education
उत्तराखण्ड शासन
Govt. of Uttarakhand
4, सुभाष मार्ग, देहरादून
4, Subhash Marg, Dehradun
Ph.: (Off) 0135-2712437

उत्तराखण्ड शासन

संदेश

विद्यालय औपचारिक शिक्षा के सर्वसुलभ केन्द्र हैं। विद्यालयों में 6 से 14 वय वर्ग के बच्चों हेतु नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए भारत सरकार द्वारा नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को राज्य में लागू किया गया है। यह अधिनियम 6 से 14 वय वर्ग के प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप गुणवत्तापरक सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। शिक्षा की सुलभता व सार्वभौमिकता के लिये मानकानुसार सभी गाँवों/बस्तियों में विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं तथा जहाँ मानकानुसार विद्यालय संचालित करना संभव नहीं है, उन स्थानों पर आवश्यकता एवं मानकों के अनुरुप एस्कार्ट सुविधा दी जा रही है।

विद्यालयी शिक्षा की सार्वभौम पहुँच के बाद शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना विभाग का एक महत्व पूर्ण उत्तरदायित्व है। इसके लिये विद्यालयों में सीखने-सिखाने हेतु वातावरण निर्माण पर बल दिया जा रहा है। बच्चों की प्रगति की निरंतर समीक्षा के लिए विद्यालयों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सी0सी0ई0) प्रणाली लागू की गयी है तथा शिक्षकों को समय-समय पर नवीन शिक्षण विधाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सम्प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये तैयार किये गये 'सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes)' को राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार नियमावली में प्रतिस्थापित किया गया है। 'सीखने के प्रतिफल' से सम्बन्धित दस्तावेज शिक्षकों, अभिभावकों व जनसामान्य को भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं, ताकि सभी हितधारकों को इसकी जानकारी हो सके तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु उनका सहयोग मिल सके।

मुझे विश्वास है कि शिक्षक, शिक्षाविद्, अभिभावक एवं अन्य सभी हितधारक अपने-अपने स्तर से राज्य में शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन में सहभागी होंगे तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प पूर्ण हो सकेगा।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
सचिव,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन

आमुख

बच्चे विद्यालय में अपने सीखने के अनुभवों के साथ प्रवेश करते हैं। विद्यालय बच्चे के मौजूदा अनुभवों के आधार पर सीखने की आगामी प्रक्रिया के गठन का दायित्व उठाता है। इस प्रकार हम किसी भी स्तर या कक्षा की शुरुआत बच्चे की 'अधिगम शून्यता' से नहीं करते। एक शिक्षक, जो कि विद्यार्थियों के सीखने का परामर्शदाता और सुगमकर्ता है, को भिन्न शिक्षणशास्त्रीय तकनीकों और बच्चे की सीखने में उन्नति के प्रति भी जागरूक बनाना आवश्यक है। यह मुद्दा नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम— 2009, बारहवीं पंचवर्षीय योजना और वैश्विक स्तर पर सतत विकास के लक्ष्यों में भी परिलक्षित होता है।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार बच्चों के सर्वांगीण विकास को समेटे हुए है। अत: शिक्षा व्यवस्था में अनुकूल स्थितियों को सुनिश्चित करना आवश्यक है जो प्रत्येक बच्चे की सीखने और प्रगति में सहायता करे। इसके लिए एक उपयुक्त वातावरण में गुणात्मक पाठ्यचर्या और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लक्ष्य को पूर्ण करने वाले बहुआयामी उपागम की आवश्यकता है।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) पर बल देता है जो कि शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की सीखने संबंधी प्रगति की समझ विकसित करने, सीखने संबंधी कमियों को पहचानने, समय-समय पर उन्हें दूर करने तथा तनावरहित वातावरण में उनकी वृद्धि तथा विकास में सहायता करता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी उदाहरण स्वरूप पैकेज तैयार किए गए हैं। ये पुस्तिकाएँ विषयानुसार उपयुक्त उदाहरणों के साथ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में एक समझ बनाती हैं कि सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का कैसे उपयोग करें। इस तरह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी और शिक्षक के अलावा माता-पिता, समुदाय के सदस्य और शैक्षिक प्रशासकों को भी विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानने और उसके अनुसार बच्चों की सीखने संबंधी उन्नति पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्हें आवश्यकता है और उनकी माँग है कि कुछ मानदंड उपलब्ध कराए जाएँ जिनकी सहायता से अपेक्षित सीखने के स्तर का आकलन व उसका पता लगाया जा सके। सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को यह जानकारी देना कि बच्चे ने सटीक रूप से क्या सीखा, एक चुनौती भरा कार्य है। फिर भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) ने अपना एक प्रयास किया और एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार किया जिसमें प्रारंभिक स्तर के समस्त पाठ्यचर्या क्षेत्रों के सीखने के प्रतिफलों को उनकी पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और शिक्षणशास्त्रीय प्रक्रियाओं से जोड़कर शामिल किया गया।

अपेक्षित सीखने के प्रतिफल क्रमानुसार कक्षा एक से आठ तक के सभी विषयों जैसे– पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू के लिए बनाए गए हैं जिससे सभी हितधारकों को विद्यार्थियों के सीखने को सुनिश्चित करने एवं गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों को एक सही दिशा मिल सके। यह जिला, राज्य, राष्ट्र एवं विश्व स्तर पर संस्थाओं को विभिन्न उपलब्धि सर्वेक्षण करने में और नीति-निर्देश को बेहतर बनाने हेतु व्यवस्था की दुरूस्तता का आकलन करने में भी सहायक होगा। इसे कार्यरत शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों और अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के साथ साझा किया गया। उनके सुझावों को यथोचित स्थान पर सम्मिलित भी किया गया। सीखने के प्रतिफल निर्देशात्मक नहीं हैं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इन्हें प्रासांगिक बनाया जा सकता है।

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आग्रह अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) ने कक्षावार सीखने के प्रतिफलों के निर्माण का उत्तरदायित्व लिया। यह दस्तावेज़ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) के विभिन्न विषय-क्षेत्रों के संकाय सदस्यों के सामूहिक विचार-विमर्श का परिणाम है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् 'प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल' दस्तावेज़ का हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का आभार व्यक्त करती है। जिसकी समीक्षा एवं आवश्यक संशोधन करते हुए हिंदी संस्करण को अंतिम रूप प्रदान किया गया।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने विभिन्न संकाय सदस्यों के समूहों के सामूहिक कार्य को संयोजित करने का दायित्व लिया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) के सभी सहयोगी विभागों, खंडों और प्रकोष्ठों का योगदान प्रशंसनीय हैं।

हम इस दस्तावेज़ की गुणवत्ता व उपयोगिता को बेहतर बनाने के लिए सुझावों और समीक्षाओं का स्वागत करते हैं।

नयी दिल्ली
मार्च, 2017

हृषिकेश सेनापति
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

प्राक्कथन

यह दस्तावेज़ क्यों?

विगत तीन दशकों में सभी के लिए शिक्षा (ई.एफ़.ए.) पर साहित्य ने शिक्षा की गुणवत्ता पर ज़ोर दिया है। इस पर नामांकन, ठहराव और उपलब्धि की दृष्टि से विचार किया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षार्थियों की वांछनीय विशेषताओं, सीखने की प्रक्रिया, शैक्षिक सुविधाओं, सीखने-सिखाने की सामग्री, विषय सामग्री, प्रशासन एवं प्रबंधन तथा सीखने के प्रतिफलों को भी सम्मिलित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत रूप से ध्यान केंद्रित किया गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा विकसित सभी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पहलों में गुणवत्ता को प्रमुख लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। इनमें विचार किया गया है कि सभी बच्चों को सीखने के मूलभूत अवसर उपलब्ध हों, साथ ही वैश्विक नागरिक बनने के लिए आवश्यक सभी हस्तांतरणीय कौशल अर्जित करने के अवसर मिलें। यह उन लक्ष्यों को नियत करने की माँग करता है जो स्पष्ट तथा मापने योग्य हों। अत: शैक्षिक प्रणाली के भीतर राष्ट्रीय एवं राज्य शैक्षिक निकायों को सूचित करना आवश्यक है कि प्रशासकों, योजनाकारों और नीति-निर्माताओं द्वारा लिए गए निर्णयों पर व्यवस्था कितने सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर किए गए विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षण इसी दिशा में की गई पहल है। इसके अतिरिक्त, शाला एवं सामुदायिक स्तर के विभिन्न साझेदार भी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हाल ही की ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट (जी.एम.आर.–2015) के अनुसार भारत सहित अन्य विकासशील देशों में 'शिक्षा तक पहुँच' में प्रभावी सुधार हुआ है। हालाँकि गुणवत्ता अभी भी चिंता का कारण है। भारत में किए गए विभिन्न उपलब्धि सर्वेक्षण जैसे 'असर' (ASER) ने विभिन्न राज्यों में विद्यार्थियों के बुनियादी कौशलों की उपलब्धि में व्यापक असमानताओं की जानकारी दी है। कक्षा–3 के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एम.एच.आर.डी./2014) ने भी इसकी पुष्टि की है।

सर्व शिक्षा अभियान की विगत कुछ वर्षों में आयोजित ज्वाइंट रिव्यू मिशन (जे. आर. एम.) की रिपोर्ट भी इस बात का उल्लेख करती हैं कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति, समय पर शैक्षिक संसाधनों की आपूर्ति और नियमित मॉनिटरिंग के बावजूद भी बच्चों के सीखने के स्तर और अपेक्षित स्तर में फ़ासला रहा है। इस प्रतिवेदन में बच्चों के पठन स्तर और गणितीय कौशलों में गिरावट दर्ज की गई है जो कि वर्तमान चिंता का प्रमुख का विषय है। इस चिंता के मद्देनज़र जिस तरह से गुणवत्ता को 'सीखने के प्रतिफल' के रूप में परिभाषित किया गया है (जिन्हें सभी के द्वारा प्राप्त किया जाना है), खासकर पठन, गणितीय योग्यता और बुनियादी जीवन कौशल, अत्यंत महत्वपूर्ण है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के एक मुख्य लक्ष्य के रूप में बुनियादी अधिगम (सीखना) और साथ ही गुणवत्ता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के नियमित आकलन पर ज़ोर दिया गया है।

यह सतत विकास के लक्ष्य तथा जी.एम.आर.-2015 की सिफ़ारिशों के भी अनुरूप है। इस प्रकार से क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के मूल्यांकन के माध्यम से गुणवत्ता पर नज़र बनाए रखना आवश्यक है। इसके साथ ही, आवश्यक है कि ज़मीनी स्तर पर शमिल साझेदार जैसे अभिभावक और समुदाय के लोग सतर्क रहें। साझेदारों से प्राप्त प्रतिक्रिया से व्यवस्था अवगत होती है और साझेदारों के प्रति उत्तरदायी बनती है। इसके आधार पर व्यवस्था में सुधार के लिए उचित कदम लिए जा सकते हैं।

अकसर शिक्षकों में इस बात की स्पष्टता नहीं होती कि किस प्रकार का सीखना आवश्यक है तथा वे कौन-से मापदंड हैं जिनसे इसे मापा जा सकता है। वे पाठ्यपुस्तक को संपूर्ण पाठ्यक्रम मानकर पाठों के अंत में दिए गए प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं। पाठ्यसामग्री के संदर्भों की भिन्नताओं तथा पढ़ाने के विभिन्न सिद्धांतों को वे ध्यान में नहीं रखते। पठन सामग्री में संदर्भानुसार भिन्नताएँ और अपनाई गई शिक्षण तकनीक में विविधता पर सामान्यतया ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि इनके आकलन की कोई कसौटी नहीं है। प्रत्येक कक्षा के सीखने के प्रतिफल शिक्षकों को केवल शिक्षा के वांछित तरीके अपनाने में ही सहायक नहीं हैं, बल्कि अन्य साझेदारों, जैसे – संरक्षक, माता-पिता, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों, समुदाय तथा राज्य स्तर के शिक्षा अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के प्रति सतर्क और ज़िम्मेदार भी बनाता है। स्पष्ट रूप से परिभाषित सीखने के प्रतिफल विभिन्न साझेदारों की ज़िम्मेदारी तथा उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करते हुए और दिशा-निर्देश दे सकता है ताकि विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्र से अपेक्षाओं की पूर्ति हो सके।

बदलाव क्यों?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति—1986, संशोधित नीति 1992 तथा *'प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन'* 1992 में इस बात पर बल दिया गया कि 'बच्चों का न्यूनतम अधिगम स्तर' निर्धारित किया जाना चाहिए और बच्चों के अधिगम का नियमित अंतराल पर आकलन होना चाहिए ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य कि सभी बच्चों को कम से कम न्यूनतम अधिगम स्तर तक का ज्ञान होना चाहिए-की प्राप्ति की ओर उनकी प्रगति पर लगातार नज़र रहे। प्राथमिक अवस्था के लिए कक्षा एवं विषयवार रूप से, 1992 में कुशलताओं के तौर पर तैयार किए गए न्यूनतम अधिगम स्तर अत्यधिक 'उत्पाद उन्मुखी' (Product Oriented) थे और इनमें बच्चों के संपूर्ण विकास के आकलन की संभावना सीमित थी। लगभग एक दशक पहले 'सृजनवादी' विचारधारा आ जाने से इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया जब बच्चों के ज्ञान-निर्माण करने की क्षमता को मौलिक रूप से सीखने के रूप में कक्षागत प्रक्रिया के केंद्रबिंदु के रूप में पहचाना गया। इसमें शिक्षक की प्राथमिक भूमिका सीखने की प्रक्रिया में सुगमकर्ता के रूप में होती है। बच्चे द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, वह दुनिया के साथ उनके जुड़ाव की प्रक्रिया का परिणाम है, जब वे खोज करते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं, आविष्कार करते हैं और अर्थ की खोज करते हैं। तात्पर्य यह है कि सीखने की प्रक्रिया में बदलाव आया है। इसमें वैचारिक समझ को सतत प्रक्रिया के रूप में स्थापित किया गया, यानी अवधारणाओं की समझ के कई पहलुओं की प्राप्ति के लिए सह-संबंधों के संवर्धन और गहनता की प्रक्रिया, संज्ञानात्मक विकास के एकीकृत घटक के रूप में संवेदनाएँ, अर्थ समझना और अमूर्त चिंतन और मनन की क्षमता का विकास। नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2009 में शिक्षा के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण विकास को बुनियादी अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर के दस्तावेज़ ने भी इसे पहचाना, हालाँकि इसने मनोगत्यात्मक और भावात्मक आयामों के संबंध में कठिनाई अभिव्यक्त की। इसके कारण इस तरह बताए गए – भावात्मक विशेषताओं का पेपर-पेंसिल परीक्षणों द्वारा सटीकता से आकलन में कठिनाई आना, क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ और अवर्णनीय है, इनके पूर्ण विकास में अनिश्चितता के अलावा यह निजी प्राथमिकताओं और पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं। यह दस्तावेज़ इन्हें विशिष्ट प्रक्रियाओं के अंतिम उत्पाद के बजाय विकासात्मक प्रक्रिया और विद्यार्थी के व्यक्तित्व में बदलाव का भाग समझता है।

इस पृष्ठभूमि में संपूर्ण प्रक्रिया पर नए परिप्रेक्ष्य में पुन:दृष्टि डालने और प्रारंभिक स्तर (कक्षा I से VIII) के विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्रों के लिए सीखने के प्रतिफलों के निर्माण के लिए कार्य किया गया है।

दस्तावेज़ के संबंध में —

प्रस्तुत दस्तावेज़ में 'प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल' में सभी विषय हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। यह दस्तावेज़ सभी साझेदारों, विशेषकर माता-पिता/संरक्षक, शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन समिति और समुदाय के सदस्यों के लिए बनाया गया है।

दस्तावेज़ की कुछ विशेषताएँ निम्नानुसार हैं —

- संपूर्ण दस्तावेज़ को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए यथासंभव सरल भाषा का प्रयोग किया गया है।
- पाठ्यचर्या के प्रत्येक विषय के अंतर्गत विषय की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी दी गई है। इसके बाद पाठ्यचर्या अपेक्षाएँ हैं, जो एक प्रकार से वे दीर्घकालिक लक्ष्य हैं जिन्हें विद्यार्थियों को एक समय-अंतराल में अर्जित करना है और इसलिए ये चरणानुसार हैं।
- कक्षावार परिभाषित सीखने के प्रतिफल प्रक्रिया-आधारित हैं। ये प्रतिफल एक प्रकार से जाँच बिंदु (check point) हैं जो गुणात्मक या मात्रात्मक रूप में मापे जा सकते हैं। ये प्रतिफल बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए अपेक्षित 'संपूर्ण सीखने' के अनुसार बच्चों की प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं।
- पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के अनुसार सीखने के प्रतिफलों की उपलब्धि और समझ के लिए शिक्षकों की मदद हेतु प्रतिफलों के साथ-साथ सीखने-सिखाने की प्रक्रियाएँ भी सुझाई गई हैं।
- संदर्भगत संसाधनों और सीखने की उपयुक्त प्रक्रियाओं के द्वारा शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप वैविध्यपूर्ण अवसरों/स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं और उन्हें बच्चों को उपलब्ध करा सकते हैं।
- सीखने-सिखाने की प्रक्रियाएँ प्रस्तावित हैं। ये प्रक्रियाएँ एक-एक प्रतिफल के साथ संयोजित नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई एक प्रक्रिया सीखने के अनेक प्रतिफलों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है और वहीं सीखने के एक प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए एक से अधिक प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है। अत: इन्हें संपूर्णता में देखा जाना चाहिए। शिक्षक संसाधनों की उपलब्धता और स्थानीय संदर्भ के अनुसार प्रक्रियाओं को ज्यों का त्यों अपना सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं या अन्य प्रक्रियाओं को रच भी सकते हैं।
- यह ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक पाठ्यचर्या विषय में परिभाषित सीखने के प्रतिफल, पाठ्यचर्या विषयों की अंत: एवं आंतरिक जटिलताओं और अवस्थाओं के संदर्भ में आपस में वर्तुलाकार (spiral) रूप से जुड़े हुए हैं।
- कक्षावार अनुभागों को अलग-अलग न देखा जाए। बच्चे के संपूर्ण विकास के लक्ष्य-प्राप्ति में पूर्णतावादी परिप्रेक्ष्य मदद करेगा।

समावेशन का संबंध सभी विद्यार्थियों को सीखने के प्रभावी अवसर उपलब्ध कराने से है। सीखने के प्रतिफल सभी बच्चों के लिए समान हैं, बशर्ते इन्हें प्रत्येक बच्चे की वैयक्तिक आवश्यकताओं के साथ समरस और संतुलित किया जाए। विशेष आवश्यकता कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है, अक्षमता उनमें से एक है। उसके अनुसार उन्हें विभिन्न उपकरण, जैसे – व्हीलचेयर, बैसाखी, छड़ी, श्रवण यंत्र, चश्मे आदि एवं शैक्षिक सामग्री, जैसे – टेलर फ्रेम, एबैकस आदि उपलब्ध कराकर उनके सीखने की परिस्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। साथ ही ज़रूरत इस बात की भी है कि अन्य बच्चों को संवेदनशील बनाया जाए कि वे ऐसे बच्चों की आवश्यक मदद करें। सीखने की प्रक्रिया में इन बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें तथा अन्य बच्चों की तरह आगे बढ़ने में उनकी मदद करें।

सीखने के प्रतिफल — विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विचार किए जाने वाले बिंदु

- परीक्षाओं में सफलतापूर्वक भागीदारी के लिए अतिरिक्त समय तथा उपयुक्त संसाधन देना।
- पाठ्यचर्या में संशोधन, क्योंकि यह उनके लिए विशिष्ट कठिनाइयाँ पैदा करता है।
- विभिन्न विषयवस्तु क्षेत्रों में अनुकूलित, संशोधित या वैकल्पिक गतिविधियों का प्रावधान करना।
- उनकी आयु एवं अधिगम स्तर के अनुरूप सुगम पाठ्यवस्तु व सामग्री उपलब्ध करना।
- घर की भाषा के लिए सम्मान और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश (परंपराएँ और रीति-रिवाज़ इत्यादि) से संबंध स्थापित करना।
- समुचित कक्षा-कक्ष प्रबंधन (उदाहरण के लिए ध्वनि, प्रकाश इत्यादि का प्रबंधन)
- सूचना एवं संचार तकनीक (ICT), वीडियो अथवा डिजिटल प्रारूपों के प्रयोग से अतिरिक्त सहयोग का प्रावधान।
- पाठ्यचर्या विषयों के सीखने के प्रतिफलों के प्रत्येक खंड में उस विषय से संबंधी कुछ अतिरिक्त विशिष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं ताकि विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सके। प्रत्येक पाठ्यचर्या क्षेत्र के अंतर्गत पहचाने गए सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने में विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों की मदद करने के लिए वर्णित कठिनाइयों का हल ढूँढ़ना आवश्यक है। यदि आवश्यकता हो तो सीखने के प्रतिफलों को अत्यधिक संज्ञानात्मक कठिनाई (बौद्धिक रूप से चुनौती वाले) बच्चों हेतु लचीला बनाया जा सकता है।

यह दस्तावेज़ हमारे शैक्षिक नियोजन के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य इसे अपनी आवश्यकता एवं सदर्भों के अनुसार ज्यों का त्यों अपना सकते हैं या अपेक्षित बदलाव कर सकते हैं। यह स्तरवार पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं तथा कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को निर्धारित करने में सहायक सिद्ध होगा।

दस्तावेज़ का उपयोग सूक्ष्म और व्यापक दोनों स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में शिक्षार्थी की प्रगति की अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए साझेदारों द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार से यह सीखने की गुणवत्ता सुधारने में शिक्षकों, माता-पिता, अभिभावकों तथा पूरी व्यवस्था के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और विद्यालयी शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के विकास में सहायक होगा।

विषय-सूची

आमुख		*iv*
प्राक्कथन		*vi*
उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल		
1.	हिंदी	1-8
2.	अंग्रेज़ी	9-16
3.	उर्दू	17-20
4.	गणित	23-31
5.	विज्ञान	32-40
6.	सामाजिक विज्ञान	41-50
7.	निर्माण समिति के सदस्य	51-54